



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225600
CG-DL-E-03032021-225600

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942

No. 913]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

का.आ. 987(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4679 दिनांक 23.12.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH211 के कि.मी. 290.200 से कि.मी. 320.640 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "08.01.2021" को "सकाळ" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में NH-211 (New NH-52) के कि.मी. 290.200 से कि.मी. 320.640 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: औरंगाबाद				
	गांव का नाम: करोड़ी				
1	130	निजी	कृषिक	0.14	महादेवचा इनाम ()
2	135	निजी	कृषिक	0.6174	अर्जुन भीमराव मांडवे व इतर ताबा - मल्हारी भिल्ल ()
	गांव का नाम: निपाणी				
3	245	निजी	कृषिक	0.07	शांकी अरविंद जैन ()
4	246	निजी	कृषिक	0.08	शांकी अरविंद जैन ()
5	246	निजी	कृषिक	0.03	बाळासाहेब शिवाजीराव पवार ()
			कुल	0.9374	

[फा. सं. NHAI/PIU/AUR/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

S.O. 987(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4679 dated 23.12.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-211 (New NH-52) on the stretch of land from Km. 290.200 to Km. 320.640 in the district of AURANGABAD in the State of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Sakal*” and “*Lokmat Times*” both dated 08.01.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority; And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-211 (New NH-52) in the stretch of land from km. 290.200 to km. 320.640 in the district of AURANGABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AURANGABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Aurangabad				
	Village: Karodi				
1	130	Private	Agriculture	0.14	Mahadevacha Inam
2	135	Private	Agriculture	0.6174	Arjun Bhimrao Mandve and others TABA- Malhari Bhill
	Village: Nipani				
3	245	Private	Agriculture	0.07	Shanki Arvind Jain
4	246	Private	Agriculture	0.08	Shanki Arvind Jain
5	246	Private	Agriculture	0.03	Balasaheb Shivajirao Pawar
			TOTAL	0.9374	

[F. No. NHAI/PIU/AUR/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director